केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

प्रथम अपील सं. CICOM/A/P/21/00030
CICOM/R/P/21/00005

अपीलकर्ता : श्री सुरेन्द्र कुमार
पिता - श्री राधो शरण प्रसाद
ग्राम - कपटिया, पो0 - नालन्दा
जिला - नालन्दा, बिहार - 803111.

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	18.12.2020
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	04.01.2021
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री कृष्ण अवतार तलवार
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	30.01.2021
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में अपील प्राप्त होने की तिथि	11.02.2021
निर्णय की तारीख	03.03.2021

मांगी गई सूचना

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 18.12.2020 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से आयोग को प्रेषित अपने दिनांक 18.08.2020 के द्वितीय अपील पर की गई समस्त कार्यवाही की, सूचना मांगी गई थी ।

प्रदान की गई सूचना

2. आयोग के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों श्री कृष्ण अवतार तलवार द्वारा श्री राम पाल सिंह, डाक अनुभाग अधिकारी की सहायता से पत्र सं. CICOM/R/P/21/00005 दिनांक 04.01.2021 के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं प्रदान की गई:-

"श्री सुरेन्द्र कुमार द्वारा प्रेषित द्वितीय अपील दिनांकित 18.08.2020 इस आयोग में दिनांक 21.08.2020 को डायरी सं. 124147 के तहत डाइराज्ड हुई, जिसपर द्वितीय अपील नं. CIC/MCULT/A/2020/124147 दर्ज किया गया है, जिसकी सुनवाई उचित समय पर की जाएगी" । श्री तलवार ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि "इस केस से संबंधित उपरोक्त के अलावा अन्य कोई पत्राचार/कार्यवाही आदि नहीं की गई है" ।

प्रथम अपील का आधार

3. अपीलकर्ता ने प्रथम अपील में उल्लेख किया है कि "मेरे द्वारा मांगी गई सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं करायी गई है, इसलिए क्षुब्ध होकर प्रथम अपील दायर कर रहा हूँ ।

निर्णय

4. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन, आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रदान की गई सूचना) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 18.12.2020 के आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री कृष्ण अवतार तलवार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा वांछित सूचना निर्धारित समयवाधि के भीतर ही दिनांक 04.01.2021 को प्रेषित कर दी गई है, जिसे अपीलकर्ता ने अपने प्रथम अपील आवेदन के साथ संलग्न भी किया है । केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
03 MAR 2021
D. No.......
Initials.......

द्वारा प्रेषित की गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार ही है । उल्लेखनीय है कि सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 2 (च) के प्रावधानों के अनुसार एक जन सूचना अधिकारी केवल संबंधित लोक प्राधिकरण के रिकार्ड में एक सामग्री के रूप में उपलब्ध सूचना ही प्रदान कर सकता है । अत: केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना तत्यात्मक है और इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।

5. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

निर्णय की तारीख: 03 मार्च, 2021.

मीना शर्मा 03/3/2021

(मीना बलिमने शर्मा)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. श्री राम कुमार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री कृष्ण अवतार तलवार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, (CR-1), केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

3/3/21

3/3/21